कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक / साख / विधि / 2016 / 1006 भोपाल, दिनांक 06.4.2016

आदेश

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं मनीष श्रीवास्तव, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के सेवायुक्तों के (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) सेवा नियम क्रमांक 3.3, 3.5, 6.2.4, 6.3.3, 6.5.4, 6.7.1, 7.2.3(2), 47.1.42, 48.1.1, 48.2.3, 49.5, 49.6, 52.6 एवं 74.2 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 06/04/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(मनीष श्रीवास्तव)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

क्रमांक / साख / विधि / 2016 / 1006 भोपाल, दिनांक 06.4.2016

प्रतिलिपि :—

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त सहकारिता (समस्त) संभाग मध्यप्रदेश।
6. उप आयुक्त सहकारिता (समस्त) जिला मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) मध्यप्रदेश।
8. राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म.प्र.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सेवा नियमों में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	3	3.3	(स) अधीनस्थ श्रेणी (सपोर्ट स्टॉफ) — दफ्तरी, जमादार, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार (डाईंग केडर)	(स) अधीनस्थ श्रेणी (सपोर्ट स्टॉफ) — दफ्तरी, जमादार, भृत्य एवं चौकीदार (डाईंग केडर) वाहन चालक	आंशिक संशोधन
		3.5	दफ्तरी, जमादार, वाहन चालक, भृत्य एवं चौकीदार के पद मृत संवर्ग (डाईंग केडर) के होंगे तथा वर्तमान सेवायुक्तों के सेवानिवृत्त या अन्यथा रिक्त होने के बाद इन पदों पर बाह्य नियोजन से सेवायें ली जावेगी। यह भी कि बैंक के स्वयं के वाहन होने पर वाहन चालक बाह्य नियोजन / संविदा से भरे जा सकेंगे।	दफ्तरी, जमादार, भृत्य एवं चौकीदार के पद मृत संवर्ग (डाईंग केडर) के होंगे तथा वर्तमान सेवायुक्तों के सेवानिवृत्त या अन्यथा रिक्त होने के बाद इन पदों पर बाह्य नियोजन से सेवायें ली जावेगी।	आंशिक संशोधन
2	6	6.2.4	सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर सेवानियम 6.3 एवं 6.2.1 के प्रावधानानुसार पात्रता आने पर सीधी भर्ती की जा सकेगी तथा बैंक में आरक्षण नियम लागू होने की स्थिति में आरक्षण नियम का पालन किया जावेगा।	सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर सेवानियम 6.3 एवं 6.2.1 के प्रावधानानुसार पात्रता आने पर सीधी भर्ती की जा सकेगी तथा **बैंक में म.प्र. आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार आरक्षण नियम लागू होंगे। महिला / विकलांग / भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार लागू होंगे।**	आंशिक संशोधन
		6.3.3	लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती अनुसूची–3 में दर्शायी शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों** की भर्ती अनुसूची–3 में दर्शायी शैक्षणिक अर्हता अनुसार की जा सकेगी।	आंशिक संशोधन

क्रमशः -2

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण/रिमार्क
1	2	3	4	5	6
		6.5.4	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित शैक्षणिक अर्हता धारित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित शैक्षणिक अर्हता धारित करना आवेदक को अनिवार्य होगा। **परंतु मृतक सेवायुक्त की पत्नी के अनुकंपा प्रकरण में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की शैक्षणिक योग्यता अगर धारित नहीं करती है तो नियुक्ति से 03 वर्ष की अवधि में शैक्षणिक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा।**	आंशिक संशोधन
		6.7.1	कोई भी व्यक्ति बैंक में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह आवेदन की तारीख पर 18 वर्ष की आयु से अधिक तथा 35 वर्ष की आयु से कम का न हो, परंतु अधिकतम आयु के संबंध में यह प्रतिबंध निम्न के लिये लागू नहीं होगा–	कोई भी व्यक्ति बैंक में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह आवेदन की तारीख पर 18 वर्ष **की आयु** से कम तथा 35 वर्ष **की आयु** से अधिक का न हो, परंतु अधिकतम आयु के संबंध में यह प्रतिबंध निम्न के लिये लागू नहीं होगा–	त्रुटि सुधार
3	7	7.2.3(2)	सामान्य चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची– "6" में वर्णित सेवावधि पूर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, जिसमें सेवायुक्त की गत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली, दंड (यदि कोई हो) तथा वर्तमान में प्रचलित विभागीय कार्यवाही को विचार में लिया जावेगा। इस हेतु जितने पदों पर पदोन्नति की जानी है, उससे दोगुना सेवायुक्तों पर पदोन्नति के समय विचार किया जावेगा। पदोन्नति हेतु अधीनस्थ एवं कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्यम प्रबंधन के पदों पर वरिष्ठता–सह–	सामान्य चैनल से पदोन्नति हेतु अनुसूची– "6" में वर्णित सेवावधि पूर्ण करने पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, जिसमें सेवायुक्त की गत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली, दंड (यदि कोई हो) तथा वर्तमान में प्रचलित विभागीय कार्यवाही तथा **किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिसमें चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो तथा कार्यवाही लंबित है,** को विचार में लिया जावेगा। इस हेतु जितने पदों पर पदोन्नति की जानी है, उससे दोगुना सेवायुक्तों पर पदोन्नति के समय विचार किया जावेगा। पदोन्नति हेतु अधीनस्थ एवं कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्यम प्रबंधन के	पर्याप्त प्रावधान न होने से

पंजीयक, सहकारी समितियां

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
			उपयुक्तता के आधार पर की जावेगी, परंतु वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर उपयुक्तता–सह–वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जावेगी।	पदों पर वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर की जावेगी, परंतु वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर उपयुक्तता–सह–वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जावेगी।	
4	47	47.1.42	–	**बैंक के आचरण नियमों के विपरीत कृत्य करना।**	नवीन प्रावधान
5	48	48.1.1	संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वार्षिक वेतनवृद्धियों का रोकना।	**असंचयी** / संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वार्षिक वेतनवृद्धियों को रोकना।	आंशिक संशोधन
		48.2.3	असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना।	असंचयी प्रभाव से **वार्षिक वेतनवृद्धियां** रोकना।	आंशिक संशोधन
6	49	49.5	ऐसी स्थिति में जबकि किसी सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन हो, उसके अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों को (उपादान राशि को छोड़कर) अन्तिम विनिश्चय होने तक रोका जायेगा और यदि कोई हानि सेवायुक्त के प्रति प्रभारित होती है तो ऐसी हानि ऐसे अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों से समायोजित की जायेगी, किन्तु सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरूद्ध सेवानिवृत्ति तिथि से दो वर्ष तक की अवधि में ही आरोप पत्र जारी किया जा सकेगा / विभागीय जॉच संस्थित की जा सकेगी। परंतु जो भी स्थिति हो सेवानिवृत्ति तिथि से 4 वर्ष की अवधि में विभागीय जॉच में अंतिम निर्णय नहीं लिया जावेगा, तो वह विभागीय जॉच	ऐसी स्थिति में जबकि किसी सेवानिवृत्त सेवायुक्त के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन हो, उसके अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों को (उपादान राशि को छोड़कर) अन्तिम विनिश्चय होने तक रोका जायेगा और यदि कोई हानि सेवायुक्त के प्रति प्रभारित होती है तो ऐसी हानि ऐसे अभिदाय योग्य अधिवार्षिकी लाभों से समायोजित की जायेगी। {(क) विभागीय कार्यवाहियां यदि सेवायुक्त के सेवा में रहते हुये चाहे सेवा निवृत्ति के पूर्व अथवा उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान संस्थित की गई हो तो इस नियम के अधीन सेवायुक्त के सेवा निवृत्ति के पश्चात भी कार्यवाहियां चालू मानी जावेगी और वे जिस प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी उसी के द्वारा उसी प्रकार से जैसा कि सेवायुक्त सेवा में रहता; चालू रहेंगी और निर्णित की जावेंगी। (ख) विभागीय कार्यवाहियां, सेवायुक्त के सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पहले या उसकी	आंशिक संशोधन

पंजीयक, सहकारी समितियां

क्रमशः-4

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
			स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।	पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई तो (1) रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जावे; (2) ऐसे संस्थापन के पूर्व चार वर्ष के पहले घटित किसी घटना के बारे में नहीं होगी;}	
		49.6	यदि कोई सेवायुक्त, प्रारंभिक जांच, गौण कदाचार के अंतर्गत जारी सूचनापत्र, विभागीय जांच या अन्य किसी कारण के लिए अधिरोपित अभियोग के दौरान सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त हो जाता है तो जांच की प्रक्रिया सतत् रहेगी और जांच की समाप्ति तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी इस बात के निरपेक्ष होते हुए कि सेवायुक्त, सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त हो गया है, सेवा नियम के अधीन उपयुक्त निर्णय ले सकेगा। और आगे यह कि सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त सेवायुक्त के विरूद्ध, उस सेवायुक्त के सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त होने के दो वर्ष की कालावधि के अंदर कार्यवाही अग्रसरित कर सकता है।	यदि कोई सेवायुक्त, प्रारंभिक जांच, गौण कदाचार के अंतर्गत जारी सूचनापत्र, विभागीय जांच या अन्य किसी कारण के लिए अधिरोपित अभियोग के दौरान सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त हो जाता है तो जांच की प्रक्रिया सतत् रहेगी और जांच की समाप्ति तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी इस बात के निरपेक्ष होते हुए कि सेवायुक्त, सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त हो गया है, सेवा नियम के अधीन उपयुक्त निर्णय ले सकेगा। और आगे यह कि सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त सेवायुक्त के विरूद्ध, उस सेवायुक्त के सेवानिवृत्त / निष्कासित / पदच्युत / बर्खास्त होने के **चार वर्ष की** कालावधि के अंदर कार्यवाही अग्रसरित कर सकता है।	आंशिक संशोधन

पंजीयक, सहकारी समितियां

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
7	52	52.6	जांच उपरांत अंशतः या पूर्णतः दोषी पाए जाने पर सेवायुक्त को नियम 48.1 एवं 48.2 के अधीन दंडित किए जाने की स्थिति में वह निलंबन कालावधि के दौरान उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रकम के लिए हकदार नहीं होगा। यदि सेवायुक्त उसके विरूद्ध रचित आरोपों को दोषी पाया जाता है तथा सेवा में पुनः स्थापित किया जाता है तो सेवायुक्त निलंबन अवधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जाएगा और वह उसी वेतन के लिए हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किए जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु यह भी कि निलंबन की कालावधि के दौरान सेवायुक्त किसी अन्य प्रयोजन या व्यवसाय में संबद्ध न रहा हो।	**(1) 52.6.1**– संचयी प्रभाव सहित वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.1.1) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष की निलंबन कालावधि के दौरान सेवायुक्त उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त वह किसी अन्य रकम के लिए हकदार नहीं होगा एवं उसे समानुपातिक वर्ष में वेतन वृद्धियां प्राप्त नहीं होगी। **(2) 52.6.2**– असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धियों के रोकने (नियम क्रमांक 48.2.3) की दशा में रोकी गई वेतन वृद्धियों की संख्या के समानुपातिक वर्ष में सेवायुक्त वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों की अवधि समाप्त होने पर सेवायुक्त एकमुश्त पूर्व की रोकी गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जायेगा और वह उसी वेतन के लिये हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। **(3) 52.6.3**– सेवानियम क्रमांक 48.1.3, 48.1.4 एवं 48.1.5 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान उसे भुगतान किये गये निलंबन भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रकम के लिये हकदार नहीं होगा।	आंशिक संशोधन

पंजीयक, सहकारी समितियां

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
				(4) 52.6.4– सेवानियम क्रमांक 48.2.1, 48.2.2 एवं 48.2.4 के दंड से दंडित किये जाने की स्थिति में सेवायुक्त निलंबन कालावधि के दौरान कर्तव्य पर समझा जावेगा और वह उसी वेतन के लिए हकदार होगा जो कि वह निलंबित नहीं किये जाने की स्थिति में प्राप्त करता तथा उसके द्वारा निलंबन अवधि में प्राप्त निलंबन भत्ते को कम करने के पश्चात शेष वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा परन्तु यह भी कि निलंबन की कालावधि के दौरान सेवायुक्त किसी अन्य नियोजन या व्यवसाय में संबद्ध न रहा हो।	
8	74	74.2	यदि सेवायुक्तों से संबंधित किसी विषय के बारे में या उनके संबंध में इन सेवानियमों में कोई उपबंध न हो तो ऐसे मामले में मंडल उस विषय का विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगा।	यदि सेवायुक्तों से संबंधित किसी विषय के बारे में या उनके संबंध में इन सेवानियमों में कोई उपबंध न हो, अथवा स्पष्ट प्रावधान न हो तो ऐसे मामलों में **तत्संबंधी म.प्र. शासन के प्रावधान** लागू होंगे।	प्रावधान स्पष्ट करने

पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्य प्रदेश

अनुमोदित /
6/4/16
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश